संख्या-1313 /9-8-2018-21ज/2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक: 04 मई 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 में **"कान्हा पशु आश्रय योजना"** के अन्तर्गत नगर निगम-बरेली को पूर्व में पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस बनाये जाने हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-172/2016/4187/नौ-8-16-01के0पी0ए0(बजट)/2016 दिनांक 28.12.2016 द्वारा नगर निगम-बरेली को पूर्व में कांजी हाउस/पशु शेल्टर होम्स बनाये जाने हेतु **"कान्हा पशु आश्रय योजना"** के अन्तर्गत नगर निगम-बरेली द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के आधार पर सम्बन्धित कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 100.00 लाख पूर्व में स्वीकृत की गयी थी जिसके सापेक्ष सम्बन्धित निकाय द्वारा कान्हा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः कान्हा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्गत शासनादेश दिनांक 28.12.2016 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर निगम-बरेली को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि चालू कार्यो हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	निकाय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जाने वाली अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम-बरेली	172/2016/4187/नौ-8-2016-01के0पी0ए0(बजट)/2016 दिनांक 28.12.2016	कांजी हाउस/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कार्य	472.30	100.00	372.30

(रूपये तीन करोड़ बहत्तर लाख तीस हजार मात्र)

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-07-कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को आहरित कर योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये नोडल खाते के माध्यम से निकायों के द्वारा कान्हा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर धनराशि अन्तरित की जायेगी।

4. यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त् निकायों को अवमुक्त् की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2019 तक के लिए निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, नगरीय निकाय/ शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. सम्बन्धित नागर निकाय को कान्हा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित स्तम्भ 03 में उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

Manoj 4.5.18

(मनोज कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 1313 /9-8-2018 तददिनांक ।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम-बरेली।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

3.5.18

(बृजेन्द्र सिंह)

अनुसचिव।